भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1374

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी दरों में कमी के प्रभाव"

1374. **श्रीमती साजदा अहमद:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कमी की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) जीएसटी दरों में कमी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या इन दरों को कम करने से पहले हितधारकों के साथ कोई सर्वेक्षण/अध्ययन या परामर्श किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने दरों में कमी के संभावित प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हाँ, दिनांक **03.09.2025** को आयोजित **56वीं जीएसटी परिषद** की बैठक की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया है और जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18%, 18% से 12/5%, 12% से 5%/शून्य कर दिया है।

(ख) से (घ): जीएसटी परिषद की दिनांक 17 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, उल्टे शुल्क (इनवर्टेड ड्यूटी) ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से दर संरचना को सरल बनाने, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने और जीएसटी संबंधी राजस्व बढ़ाने के लिए दर युक्तिकरण संबंधी मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया गया था।

इसके अलावा दिनांक 09.09.2024 को आयोजित 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों के आधार पर जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन दिनांक 15.09.2024

को किया गया ताकि जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी की वर्तमान कर संरचना की जांच और समीक्षा की जा सके।

इन दोनों जीओएम की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में प्रस्तुत की गईं। जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने पर बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक ध्यान केंद्रित करते हुए जीएसटी दरों में कमी की सिफारिश की।

*****